न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र 221/2017

1. बद्री पुत्र नाथू जाति यादव निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र नाथू जाति यादव निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. उपपंजीयक किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 18/01/2022

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर प्रार्थी अभिभाषक

प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री रामेदव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में सगे भाई है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री नाथू पुत्र बिरदा द्वारा ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 08–08–00 भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 04–04–00 भूमि विक्रेता मंशा पुत्र रामनारायण से खरीद कर दिनांक 10.07.1976 को तहरीर निष्पादित की है एवं दिनांक 25.09.1976 को उक्त आराजी में से 04–04–00 विक्रयपत्र प्रार्थी के पिता नाथू पुत्र बिरदा द्वारा अपने बडे पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अधिकार अभिलेख में खातेदारी इन्द्राज हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पिता के अन्तिम जीवन काल तक संयुक्त रूप से परिवार की इकाई के रूप में अधिवास करते आ रहे थे, उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 08–08–00 भूमि में से [illegible] 1/2 हिस्सा औपचारिक रूप से मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या [illegible] 1/4 हिस्सा अर्थात रकबा 02–02–00 भूमि पर प्रार्थी एवं रकबा 02–02–00 भूमि में अप्रार्थी संख्या [illegible] द्वारा काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नाथू पुत्र बिरदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

द्वारा ही उपरोक्त वर्णित आराजी का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि विक्रेता मंशा पुत्र रामनारायण को अदा किया गया था चुंकि अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र वरवक्त तहरीर व विक्रयपत्र के समय 11–12 वर्ष का नाबालिग था जो इतना प्रतिफल राशि देना कतई असम्भव है एवं परिवार में पिता द्वारा ही सम्पूर्ण लेन–देन, खरीद–फरोक्त अथवा परिवार के अहम फैसले/निर्णय लिये जाते थे। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 बडा/ज्येष्ठ (लाडला) पुत्र होने से विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया जबकि परिवार के विभाजन के समय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी का विभाजन 1/2–1/2 करके मौके पर काबिज काश्त है। विक्रय पत्र के समय जानकारी के अभाव में उम्र अधिक अंकित की गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में जन्म दिनांक 1965 अंकित है जो सही व सत्य है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में वास्तविक तथ्यों के आधार पर सद्‌भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को प्रश्नगत खरीद शुदा आराजी ख0नं0 205 रकबा 04–04–00 भूमि में से रकबा 02–02–00 में अप्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व मौके से बेदखल नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम होने का अनुचित फायदा उठाते हुए आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, शक्ल परिवर्तन (भारयुक्त) करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को कृषकिय कार्य से बेदखल करने पर उतारू होने से अप्रार्थी सं0 1 व विधिक प्रतिनिधि को इस आशय से पाबन्द किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में सर्व सिद्ध है क्योंकि प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज व उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम पाटन पटवार क्षेत्र पाटन के वर्तमान खसरा नम्बर 205 कुल रकबा 08–08–00 भूमि में अप्रार्थी के औपचारिक खातेदारी में अंकन 1/2 हिस्सा का बैचान, हस्तानान्तरण, शक्ल परिर्वतन (भारयुक्त), रहन नही करने एवं प्रार्थी द्वारा काबिज हिस्सा 1/4 अर्थात रकबा 02–02–00 भूमि में प्रार्थी के कृषकिय कार्य में मदाखलत उत्पन्न नही करने एवं बेदखल नही करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र [illegible] (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के [illegible] जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

लगायत 3 कि ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर दिनांक 15.12.2021 को अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया जाता है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी एक पक्षीय बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पिता के अन्तिम जीवन काल तक संयुक्त रूप से परिवार की इकाई के रूप में अधिवास करते आ रहे थे, उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 08–08–00 भूमि में से 04–04–00 अर्थात 1/2 हिस्सा औपचारिक रूप से मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात रकबा 02–02–00 भूमि पर प्रार्थी एवं रकबा 02–02–00 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नाथू पुत्र बिरदा द्वारा ही उपरोक्त वर्णित आराजी का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि विक्रेता मंशा पुत्र रामनारायण को अदा किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 बडा/ज्येष्ठ (लाडला) पुत्र होने से विक्रय पत्र उनके नाम निष्पादित करवा दिया जबकि परिवार के विभाजन के समय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी का विभाजन 1/2–1/2 करके मौके पर काबिज काश्त है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में सर्व सिद्ध है क्योंकि प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज व उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान ग्राम पाटन पटवार क्षेत्र पाटन के वर्तमान खसरा नम्बर 205 कुल रकबा 08–08–00 भूमि में अप्रार्थी के औपचारिक खातेदारी में अंकन 1/2 हिस्सा का बैचान, हस्तानान्तरण, शक्ल परिर्वतन (भारयुक्त), रहन नही करने एवं प्रार्थी द्वारा काबिज हिस्सा 1/4 अर्थात रकबा 02–02–00 भूमि में प्रार्थी के कृषकिय कार्य में मदाखलत उत्पन्न नही करने एवं बेदखल नही करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की वास्तविकता एवं वकील पक्षकारान् द्वारा बहस में प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर [illegible] परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता नहीं बढ़े।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 08–08–00 भूमि के मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं0 1 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested